रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012026-269443
CG-DL-E-20012026-269443

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2026/पौष 26, 1947
No. 225]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2026/PAUSHA 26, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

का.आ. 250(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 25 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“25	नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं.10 (सेवोक आर्मी कैंटोनमेंट - सेवोक (कोरोनेशन ब्रिज) - कलिम्पांग - पश्चिम बंगाल/सिक्किम सीमा खंड (किमी. 66.00) तक को छोड़कर), संख्या 12(डालखोला-बरासात खंड (पुराने एनएच-34 के किमी. 31.00 से किमी. 452.70 तक), [पुराने एनएच-2ई (बेलघोरिया एक्सप्रेसवे) कुल 7.363 किमी) को छोड़कर] और साथ ही [पुराने एनएच-117 (कोना एक्सप्रेसवे) के किमी. 0.00 से किमी. 7.337 तक] को छोड़कर), संख्या 112, संख्या 512, संख्या 14, संख्या 114, संख्या 114ए, संख्या 314, संख्या 116बी, संख्या 17, संख्या 317, संख्या. 517, संख्या 717ए, संख्या 218, संख्या 419, संख्या 327, संख्या 327बी, संख्या 131ए, संख्या 133ए के उतने भाग जो पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं।	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार”

[फा. सं. NH-14013/6/2025-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-64(अ), तारीख 05 जनवरी, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2026

S.O. 250(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
“25	So much of new National Highways No. 10 [excluding from Sevoke Army Contonment - Sevoke (Coronation Bridge) – Kalimpang - Up to West Bengal/Sikkim border section (Km. 66.00)], No. 12 [excluding from (Dalkhola-Barrasat section (Km. 31.00 to Km. 452.70 of Old NH-34), excluding (Old NH-2E (Belghoria Expressway) totalling 7.363 km) and also excluding from Km. 0.00 to Km. 7.337 of (old NH-117 (Kona Expressway)], No. 112, No. 512, No. 14, No. 114, No. 114A, No. 314, No. 116B, No. 17, No. 317, No. 517, No. 717A, No. 218, No. 419, No. 327, No. 327B, No. 131A, No. 133A as are situated within the State of West Bengal.	State Government of West Bengal”.

[F. No. NH-14013/6/2025-P&M]
SAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4thAugust, 2005 and was last amended vide number S.O.64 (E), dated the 05th January, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

का.आ. 251(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड उक्त सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों का नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा,-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (2)	खंड की लंबाई किमी में (3)
नया एनएच-10	सेवोक आर्मी कंटोनमेंट - सेवोक (कोरोनेशन ब्रिज) – कालिमपांग - पश्चिम बंगाल/सिक्किम सीमा खंड तक (पश्चिम बंगाल राज्य में)	66.00 किमी.
नया एनएच-317ए	पश्चिम बंगाल राज्य में हासीमारा के निकट एनएच -317 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर जयगांव को जोड़ने वाला और भारत/भूटान सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	संपूर्ण एनएच
नया एनएच-717	पश्चिम बंगाल राज्य में बारादिघी के निकट एनएच-17 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर मैनागुडी, कंगराबांधा के निकट एनएच-27 को जोड़ने वाला और भारत/बांग्लादेश सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	संपूर्ण एनएच

[फा. सं. NH-14013/6/2025-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2026

S.O. 251(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table,-

Table

National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
New NH-10	Sevoke Army Contonment - Sevoke (Coronation Bridge) – Kalimpang - Up to West Bengal/Sikkim border Section (In the State of West Bengal)	66.00 Km.
New NH-317A	The highway starting from its junction with NH-317 near Hasimara connecting Jaigaon in the state of West Bengal and terminating at Indo / Bhutan Border.	Entire NH
New NH-717	The highway starting from its junction with NH-17 near Baradighi connecting NH-27 near Mainaguri, Cangrabandha in the State of West Bengal and terminating at Indo / Bangladesh Border.	Entire NH

[F. No. NH-14013/6/2025-P&M]

SAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

का.आ. 252(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (2)	चैनेज (3)
राष्ट्रीय राजमार्ग 31	बिहार/पश्चिम बंगाल सीमा से गजोले खंड (पश्चिम बंगाल राज्य में)	पश्चिम बंगाल राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग
राष्ट्रीय राजमार्ग 33	बिहार/पश्चिम बंगाल सीमा से फरक्का खंड (पश्चिम बंगाल राज्य में)	पश्चिम बंगाल राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग

[फा. सं. NH-14013/6/2025-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2026

S.O. 252(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	**(2)**	**(3)**
NH-31	Bihar/WB border to Gazole Section (In the State of West Bengal)	Entire NH in the States of West Bengal
NH-33	Bihar/WB border to Farakka Section (In the State of West Bengal)	Entire NH in the States of West Bengal

[F. No. NH-14013/6/2025-P&M]

SAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

का.आ. 253(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (48 का 1956) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5, भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांकित 29 अक्टूबर, 2024 में

प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं .आ .का .4721(अ), दिनांकित 29 अक्टूबर, 2024 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. NH-14013/6/2025-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2026

S.O. 253(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 4721(E), dated the 29th October, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 29th October, 2024, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/6/2025-P&M]

SAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.20 12:23:14 +05'30'